न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण), नाथद्वारा

पीठासीन अधिकारी – पियूष कुमार मेडतिया, RJS

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 337/2023

(सी.आई.एस. नंबर 742/2022)

सीएनआर नंबर– RJRS070011942022

मोहम्मद असलम पिता मोहम्मद याकुब, आयु 47 साल, निवासी गरीब नवाज कॉलोनी, फौज मौहल्ला, नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

––परिवादी

बनाम

श्रीमती सीता पत्नी जगदीश, आयु 55 साल, निवासी होली मगरा, घाटी, नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

––अभियुक्ता

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

उपस्थिति–

1. परिवादी की ओर से – अधिवक्ता श्री नंदलाल रेगर
2. अभियुक्ता की ओर से – अधिवक्ता श्री सुरेश पालीवाल

निर्णय **दिनांक : 17.03.2026**

1. परिवादी द्वारा एक परिवाद न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा के समक्ष दिनांक 06.05.2022 को पेश किया गया था, जो परिवाद प्रकरण संख्या 742/2022 में दर्ज किया गया। उसके पश्चात् श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश क्रमांक 108 दिनांक 16.12.2023 की पालना में इस न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) नाथद्वारा में अंतरित किया गया, जो प्रकरण संख्या 337/2023 के रूप में दर्ज किया गया, जिसका निस्तारण एतद्द्वारा किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियुक्ता ने परिवादी से अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 50,000/– रुपये अक्षरे पचास हजार रुपये उधार लिए, जिसके मांगते रुपयों के भुगतान पेटे अभियुक्ता ने परिवादी को एक चैक संख्या 000004, राशि 50,000/– अक्षरे पचास हजार रुपये, दिनांक 23.03.2022, बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा नाथद्वारा का दिया था। परिवादी ने अभियुक्ता द्वारा दिये गये चैक को अपनी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा नाथद्वारा में पेश किया, वहां से उक्त चैक को ''राशि अपर्याप्त'' के नोट के साथ बिना भुगतान के साथ दिनांक 23.03.2022 को वापस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्ता द्वारा परिवादी को दिया गया चैक अनादरित हो गया।

अभियुक्ता द्वारा दिये गये चैक के डिस्ऑनर होने पर चैक की राशि के भुगतान की मांग बाबत परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 31.03.2022 को अभियुक्ता के पते पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाया, जो अभियुक्ता को प्राप्त हो गया। अभियुक्ता ने नोटिस की समयावधि में तथा तत्पश्चात आज तक भी उक्त चैक की राशि की अदायगी परिवादी को नहीं की, इसलिये परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है, परिवादी अभियुक्ता से चैक में वर्णित राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना की गयी कि अभियुक्ता को उसके कृत्य की सख्त से सख्त सजा दिये जाने का आदेश प्रदान करे तथा परिवादी के पक्ष में यह आदेश प्रदान किया जावे कि अभियुक्ता परिवादी को उक्त चैक में वर्णित राशि की दुगुनी राशि मय हर्जे खर्चे अदा करें।

3. परिवाद के समर्थन में परिवादी मोहम्मद असलम ने स्वयं का साक्ष्य में परीक्षण बाबत शपथ पत्र पेश किया व दस्तावेजी साक्ष्य में असल चैक, बैंक का रिटर्न मेमो, नोटिस, डाकघर की पोस्टल रसीद व एडी रसीद की प्रति प्रस्तुत किये।

4. अभियुक्ता के विरूद्व धारा 138 एन.आई. एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया बनना प्रकट होने पर उसके विरूद्व उक्त अपराध का दिनांक 02.08.2022 को प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्ता को तलब किया गया व अभियुक्ता को दिनांक 23.05.2023 को अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट (आगे **आरोपित अपराध** से उल्लेखित) परक्राम्य लिखित अधिनियम (आगे **अधिनियम** से उल्लेखित) का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियुक्ता के विरूद्व आरोपित अपराध को साबित करने के लिये परिवादी द्वारा निम्न सारणी अनुसार मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य पेश किए हैंः–

क्रम संख्या	नाम	व्याख्या
1.	मोहम्मद असलम	पी.ड.1
2.	प्रेमशंकर	पी.ड.2

क्रम संख्या	प्रदर्श की व्याख्या	प्रदर्श	किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित
1.	असल चैक	प्रदर्श पी 1	पी.ड.1
2.	रिटर्न मेमो	प्रदर्श पी 2	पी.ड.1
3.	नोटिस	प्रदर्श पी 3	पी.ड.1
4.	डाकघर की रसीद	प्रदर्श पी 4	पी.ड.1
5.	एडी रसीद	प्रदर्श पी 5	पी.ड.1

6. अभियुक्ता को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होकर झूठा फंसाए जाने का कथन किया गया है।

7. अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा। परंतु दिनांक 28.10.2025 को साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने अवसर बंद किया गया।

8. बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. विद्वान अधिवक्ता परिवादी का दौराने बहस तर्क रहा है कि परिवादी अपना परिवाद साक्ष्य के जरिये साबित करने में सफल रहा है। परिवादी के हक में जागृत उपधारणा का खण्डन अभियुक्त करने में असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर एवं कठोर सजा दी जाकर भारी हर्जाने से दंडित किया जावे।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा मौखिक बहस कर मुख्य रूप से यह कथन किये कि परिवादी अभियुक्ता से केवल बीस हजार रुपये ही मांगता है। अभियुक्ता ने परिवादी को खाली चैक दिया था, जिसमें परिवादी द्वारा बढ़ा–चढ़ाकर राशि भरकर बैंक में पेश किया। गवाह पी.ड.1 व पी.ड.2 दोनों ही विरोधाभाषी कथन करते हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि दोनों ही गवाह झूठे कथन कर रहे हैं। अभियुक्ता ने परिवादी को चैक छह–सात पहले दिया था, ऐसे में ऋण समयावधि बाहर होने से प्रश्नगत चैक धारा 138 एनआई एक्ट की परिभाषा में नहीं आता है। अभियुक्ता ने आगे यह भी कथन किया कि परिवादी चैक में वर्णित राशि देने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। अतः अभियुक्ता को दोषमुक्त करना फरमावें।

11. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

12. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

(1) आया आया अभियुक्ता ने परिवादी के प्रति अपने विधिक दायित्व की अदायगी पेटे प्रकरण में प्रश्नगत चैक संख्या 000004, राशि 50,000/– अक्षरे पचास हजार रुपये, दिनांक 23.03.2022, बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा नाथद्वारा का दिया था। परिवादी ने अभियुक्ता द्वारा दिये गये चैक को अपनी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा नाथद्वारा में पेश किया, वहां से उक्त चैक दिनांक 23.03.2022 को "राशि अपर्याप्त" के नोट के साथ बिना भुगतान के वापस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्ता द्वारा परिवादी को दिया गया चैक अनादरित हो गया। अभियुक्ता द्वारा दिये गये चैक के डिस्ऑनर होने

पर चैक की राशि के भुगतान की मांग बाबत परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 31.03.2022 को अभियुक्ता के पते पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाया, जो अभियुक्ता को प्राप्त हो गया। अभियुक्ता ने नोटिस की समयावधि में तथा तत्पश्चात आज तक भी उक्त चैक की राशि की अदायगी परिवादी को नहीं करने पर परिवादी द्वारा वाद हेतुक उत्पन्न होने से एक माह के अन्दर परिवाद न्यायालय में पेश किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्ता द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है?

(2) यदि हां तो न्यायोचित/उपयुक्त दंड क्या हो?

13. इस विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में परिवादी व अभियुक्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत चैक अभियुक्ता के खाते का होने, चैक पर अभियुक्ता के हस्ताक्षर होने, परिवादी द्वारा चैक को विहित अवधि के दौरान समाशोधन हेतु पेश करने, उक्त चैक **"अपर्याप्त राशि"** के रिमार्क के कारण अनादरित हो जाने तथा परिवादी द्वारा विधि द्वारा विहित समयावधि में नोटिस प्रेषित किये जाने के संबंध में कोई विवाद नहीं किये गये। इस कारण उक्त तथ्यों के संबंध में प्रकरण में विवेचन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

14. विचारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम निम्न बिन्दुओं का अवधारण किया जाना हैः–

(i) क्या प्रकरण में प्रश्नगत चैक विधिक दायित्व अदायगी बाबत अभियुक्ता द्वारा परिवादी के पक्ष में जारी किया गया था तथा परिवादी के हक में उपधारणा अन्तर्गत धारा 139 एन.आई. एक्ट जागृत हुई?

15. न्यायालय के समक्ष विचारणीय उक्त बिन्दु को साबित करने का भार परिवादी पर था जिस संबंध में परिवादी ने अपने परिवाद व साक्ष्य के शपथपत्र में कथन किये हैं कि अभियुक्ता ने परिवादी से अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 50,000/– रुपये अक्षरे पचास हजार रुपये उधार लिए, जिसके मांगते रुपयों के भुगतान पेटे अभियुक्ता ने परिवादी को एक चैक संख्या 000004, राशि 50,000/– अक्षरे पचास हजार रुपये, दिनांक 23.03.2022, बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा नाथद्वारा का दिया था। परिवादी ने अभियुक्ता द्वारा दिये गये चैक को अपनी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा नाथद्वारा में पेश किया, वहां से उक्त चैक को ''राशि अपर्याप्त'' के नोट के साथ बिना भुगतान के साथ दिनांक 23.03.2022 को वापस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्ता द्वारा परिवादी को

दिया गया चैक अनादरित हो गया। अभियुक्ता द्वारा दिये गये चैक के डिस्ऑनर होने पर चैक की राशि के भुगतान की मांग बाबत परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 31.03.2022 को अभियुक्ता के पते पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाया, जो अभियुक्ता को प्राप्त हो गया। अभियुक्ता ने नोटिस की समयावधि में तथा तत्पश्चात आज तक भी उक्त चैक की राशि की अदायगी परिवादी को नहीं की। इस संबंध में परिवादी द्वारा निम्न सारणी अनुसार मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य पेश किए हैंः–

क्रम संख्या	नाम	व्याख्या
1.	मोहम्मद असलम	पी.ड.1
2.	प्रेमशंकर	पी.ड.2

क्रम संख्या	प्रदर्श की व्याख्या	प्रदर्श	किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित
1.	असल चैक	प्रदर्श पी 1	पी.ड.1
2.	रिटर्न मेमो	प्रदर्श पी 2	पी.ड.1
3.	नोटिस	प्रदर्श पी 3	पी.ड.1
4.	डाकघर की रसीद	प्रदर्श पी 4	पी.ड.1
5.	एडी रसीद	प्रदर्श पी 5	पी.ड.1

16. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा स्वीकृत तथ्य का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गयी परिवादी से जिरह के अवलोकन से निम्न तथ्यों पर अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा विवाद उत्पन्न नहीं किया जाना दृष्टिगत हैः–

1. **चैक प्रदर्श पी 1 पर अभियुक्ता के हस्ताक्षर होना।**
2. **चैक अभियुक्ता द्वारा परिवादी को दिया जाना।**
3. **चैक परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो जाना।**
4. **तदोपरांत अभियुक्ता को परिवादी द्वारा चैक में वर्णित राशि मांगने हेतु नोटिस प्रेषित किया जाना।**

17. चूंकि प्रकरण में अभियुक्ता द्वारा परिवादी को चैक दिया जाना दृष्टिगत है, जिससे परिवादी के पक्ष में धारा 118(ए) व 139 एन.आई. एक्ट में वर्णित उपधारणा का सृजन होता है, जिसके अनुसारः–

> **Section 118-** Presumptions as to negotiable instruments.- Until the contrary is proved, the following

presumtions shall be made: (a) of consideration- that every negotiable intrument was made or drown for considerration, and that every such instrument, when it has been accepted, indoresd, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration;

Section 139- Presumption in favour of holder.- It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability.

18. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 118(ए) एवं 139 एन. आई. एक्ट में वर्णित उपधारणाओं के संबंध में अपने न्यायिक दृष्टान्त "Basalingappa Vs. Mudibasappa (2019) 5 SCC 418" में वृहद् विवेचन करते हुए निम्न सिद्धान्त पारित किया है :–

"25. We having noticed the ratio laid down by this court in the above cases on sections 118(a) and 139, We now summarise the principles enumerated by this court in following manner : 25.1 Once the execution of cheque is admitted section 139 of the Act mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt of other liability.

25.2 The presumption under section 139 is a rebuttable presumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. The standard of proof or rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities.

25.3 To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or accused can also rely on the materials submitted by the complainant

in order to raise a probable defence. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on record by the parties but also by reference to the circumstances upon which they rely.

25.4 That it is not necessary for the accused to come in the witness box in support of his defence, Section 139 imposed an evidentiary burden and not a persuasive burden.

19. उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उक्त उपधारणाओं का खण्डन करने का भार अभियुक्ता पर होता है। उक्त उपधारणाओं का खण्डन संभावनाओं की प्रतिपादना पर किया जाता है एवं अभियुक्ता परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य मय संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न कर न्यायालय के समक्ष उक्त उपधारणाओं के संबंध में संदेह उत्पन्न कर सकता है। यदि अभियुक्ता द्वारा ऐसा संदेह उत्पन्न कर दिया जाता है तो उक्त उपधारणाओं को पुनः संदेह से परे प्रमाणित करने का भार परिवादी पर रहता है।

20. हस्तगत प्रकरण में यह विवाद रहित है कि अभियुक्ता द्वारा परिवादी को चैक दिया गया या चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हुआ, ऐसे में अब अभियुक्ता को परिवादी के हक में जागृत उपधारणा का खण्डन करना है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत चैक अभियुक्ता द्वारा परिवादी को विधिक दायित्व की अदायगी पेटे जारी किया जाना उपधारणा के प्रकाश में प्रकट होता है।

(ii) क्या अभियुक्ता उपधारणा का खण्डन करने में सफल रहा?

21. इस बिन्दु के संबंध में जैसा कि निर्णय के खंड संख्या 12 व 13 के (i) में विवेचन किया गया है। परिवादी के पक्ष में उक्त उपधारणा का सृजन हुआ है। अब यह भार अभियुक्ता पर है कि वह संदेह उत्पन्न कर उपधारणा का खंडन करें।

22. जहां तक अभियुक्ता की प्रतिरक्षा का प्रश्न है तो उपरोक्त विधि के प्रकाश में न्यायालय के मत में अभियुक्ता को प्रकरण में संदेह से परे साबित करना आवश्यक है। केवल मात्र प्रकरण में संदेह उत्पन्न करने से परिवादी के हक में जागृत उपधारणा का खंडन हो जाएगा। अभियुक्ता अधिवक्ता की यह प्रतिरक्षा रही है कि अभियुक्ता ने परिवादी

से केवल बीस हजार रुपये लिए थे व एक खाली चैक दिया था, जिसमें परिवादी द्वारा बढ़ा–चढ़ाकर राशि भरकर चैक का दुरुपयोग किया है। उक्त तथ्य के संबंध में प्रकरण में संदेह उत्पन्न करने हेतु अभियुक्ता साक्ष्य सफाई पेश कर सकता था या परिवादी की जिरह में संदेह उत्पन्न कर सकता था। इस संबंध में अभियुक्ता अधिवक्ता द्वारा कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई है, ऐसे में न्यायालय के मत में केवल मात्र गवाह पी.ड.1 व पी.ड.2 की जिरह से यह सुनिश्चित करना है कि क्या अभियुक्ता उपरोक्त प्रतिरक्षा के संबंध में प्रकरण में संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा है या नहीं।

गवाह पी.ड.1 की जिरह का अवलोकन किया जाए तो गवाह पी.ड.1 से अभियुक्ता अधिवक्ता द्वारा पूछे गए सुझावत्मक प्रश्न को स्वीकार करते हुए यह कथन करता है कि ''यह कहना सही है कि बीस हजार रुपये सीता के हाथ में दिए थे'' उपरोक्त कथन से यह प्रकट होता है कि परिवादी ने अभियुक्ता को बीस हजार रुपये ही दिए थे। यदि अभियुक्ता द्वारा कैश के अतिरिक्त अन्य कोई राशि जरिये ऑनलाइन या अन्य किसी माध्यम से अभियुक्ता को दी हो तो इस संबंध में परिवादी गवाह पी.ड.1 की जिरह में कोई कथन उल्लेखित नहीं है तथा परिवादी पी.ड.2 की जिरह का अवलोकन किया जाए तो गवाह पी.ड.2 अपनी जिरह में यह स्पष्ट कथन करता है कि ''मुझे नहीं पता कि असलम व सीता के मध्य तीन साल के लिए उधार देने की बात तय हुई हो अजखुद कहा कि मैंने तो पैसे देते व चैक लेते देखा था। पैसे जो दिए वे नोट 500–500/– के थे। 500 के जो नोट थे वे नए नोट थे। यह सही है कि पैसे सीता के हाथ में ही दिए थे। यह कहना सही है कि सीता के हाथ में पैसे देने अलावा और कोई राशि सीता को नहीं दी।''

उपरोक्त कथन के आधार पर न्यायालय के मत में यह स्पष्ट प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा अभियुक्ता को जो राशि दी गई, वह अभियुक्ता सीता के हाथ में दी गई, परंतु उक्त राशि के संबंध में गवाह पी.ड.1 जिरह में यह कथन करता है कि उसने सीता के हाथ में बीस हजार रुपये ही दिए थे तथा जिस दिन पैसे दिए, उसी दिन अभियुक्ता ने चैक दिया था।

यह उपरोक्त विवेचनानुसार से स्पष्ट कथन है कि अभियुक्ता को प्रकरण में केवल मात्र संदेह उत्पन्न करना होता है। उपरोक्त कथन के संबंध में गवाह पी.ड.1/परिवादी की जिरह से यह संदेह उत्पन्न होता है कि परिवादी ने अभियुक्ता को बीस हजार रुपये ही दिए थे, न कि पचास हजार रुपये। इस प्रतिरक्षा को परिवादी के जिरह में आगे किए गए कथन से संबल प्रदान होता है। परिवादी/गवाह आगे जिरह में यह कथन करता है कि

''यह कहना सही है कि मैंने चैक में पैसा भरकर चैक को बैंक में चार माह बाद डाल दिया। मैंने खाली चैक लिया था व चैक में राशि भरकर मैंने बैंक में डाला था। यह कहना सही है कि मैंने चैक अभियुक्ता से छह–सात पहले लिया था।''

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि परिवादी प्रश्नगत चैक को खाली प्राप्त करने का कथन करता है तथा चैक में राशि स्वयं के भरने का कथन करता है ऐसे में जहां चैक की राशि परिवादी द्वारा भी भरी गई है तो यह संभावित है कि परिवादी ने चैक की राशि बढ़ा–चढ़ाकर भरी होगी, क्योंकि परिवादी स्वयं जिरह में स्वीकार करता है कि मैंने अभियुक्ता के हाथ में केवल बीस हजार रुपये ही दिए थे। ऐसे में उक्त कथन अभियुक्ता अधिवक्ता द्वारा ली गई प्रतिरक्षा को संबल प्रदान करता है। ऐसे में न्यायालय के मत में अभियुक्ता यह संदेह उत्पन्न करने में सफल रही है कि प्रश्नगत चैक में वर्णित राशि वास्तविक ऋण से अधिक राशि है, क्योंकि परिवादी ने यह कथन नहीं किया है कि मूल राशि से अतिरिक्त ब्याज जोड़कर भुगतान हेतु अभियुक्ता ने प्रश्नगत चैक परिवादी को दिया हो। इस संबंध में विधि का अवलोकन किया जाए तो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अंगु परमेश्वरी टैक्सटाइल लि. बनाम श्रीराजम व कंपनी 2001 कंपनी केस वॉल्युम 105 186 में यह प्रतिपादित किया है किः–

> "For the purposes of Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, the cheque should be towards the discharge of either the whole debt or part of the debt. If the cheque is for more than the amount of the debt due, Section 138 cannot be attracted"

उपरोक्त नजीर के प्रकाश में जहां चैक बैंक में प्रस्तुत करने के समय बकाया राशि चैक राशि से कम हो तो ऐसे प्रकरण में धारा 138 एनआई एक्ट का अपराध नहीं बनता है तो ऐसे मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना उचित प्रकट होता है। फलस्वरूप परिवादी के हक में जागृत उपधारणा का खंडन करने में अभियुक्ता सफल रही है कि परिवादी द्वारा प्रश्नगत चैक की राशि वास्तविक ऋण से अधिक राशि भरकर चैक को बैंक में पेश किया है। परिणामस्वरूप हस्तगत प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं

प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने के उपरांत अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

23. अतः श्रीमती सीता पत्नी जगदीश, आयु 55 साल, निवासी होली मगरा, घाटी, नाथद्वारा, जिला राजसमंद को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के लिये दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

24. इस निर्णय के विरूद्ध होने वाली अपील में उपस्थित होने के लिये धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत जमानतनामा व बंध पत्र निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिये प्रवर्तन में रहेंगे।

(पियूष कुमार मेड़तिया)

25. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पियूष कुमार मेड़तिया)